

सचिका सं०-मं०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११

बिहार सरकार

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

अधिसूचना सं०-.....516 /

पटना, दिनांक-27/11/13 /

अधिसूचना

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-९९३, दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के आलोक में मधेपुरा जिला के घैलाढ़ प्रखंड के कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्न रूप से नामित किया जाता है:-

| क्र० | नाम | पता | पद | दूरभाष |
|------|---------------------|---|---------|------------|
| 1 | श्री शम्भू कुमार | श्रीनगर, घैलाढ़, मधेपुरा | अध्यक्ष | 9534548189 |
| 2 | श्री महाधन ठाकुर | ग्राम+पो०- भतरन्धा | सदस्य | |
| 3 | श्री गनौरी ऋषिदेव | बरदाहा, मधेपुरा | सदस्य | |
| 4 | प्र० शिवनारायण मंडल | घैलाढ़, मधेपुरा | सदस्य | |
| 5 | श्री सियाशरण यादव | घैलाढ़, मधेपुरा | सदस्य | |
| 6 | श्री रामदेव कामत | ग्राम+पो-घैलाढ़, प्रखंड-घैलाढ़ जिला-मधेपुरा | सदस्य | 8051353997 |
| 7 | कृष्णदेव चौधरी | ग्राम +पोस्ट-घैलाढ़ जिला-मधेपुरा | | 9570974330 |
| 8 | मो० जफीर | ग्रा०-लक्षमिनिया, पो०-घैलाढ़, मधेपुरा | सदस्य | 9534787981 |
| 9 | श्रीमती पूनम देवी | पति- सुरेश प्रसाद, ग्रा०+पो०- सिकनोटवा, जिला-मधेपुरा | सदस्य | 8877200890 |
| 10 | श्री गनौरी ऋषिदेव | ग्रा०+पो०-बरदाहा, मधेपुरा | सदस्य | 9570912532 |


२. प्रखंड कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अन्य सदस्य एवं सदस्य सचिव विभागीय संकल्प सं० ९९३ दिनांक १६.११.२००९ में निहित प्रावधान के अनुसार निम्नवत् होंगे -

- (i) प्रखंड के लोक सभा के सदस्य - सदस्य
- (ii) प्रखंड के राज्यसभा के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
- (iii) प्रखंड के विधान सभा के सदस्य - सदस्य।
- (iv) प्रखंड से विधान परिषद के वैसे सदस्य जिनका गृह प्रखंड प्रश्नगत प्रखंड में अवस्थित हो - सदस्य
- (v) पंचायत समिति के अध्यक्ष - सदस्य
- (vi) अनुमंडल स्तरीय सभी प्रशासनिक/तकनीकी पदाधिकारी सहित प्रखंड के सभी क्षेत्रीय/तकनीकी पदाधिकारी - सदस्य
- (vii) प्रखंड में कार्यरत विभिन्न बैंकों के शाखा प्रबंधक - सदस्य
- (viii) अंचल अधिकारी - सदस्य
- (ix) प्रखंड विकास पदाधिकारी - सदस्य सचिव।

३. शेष रिक्तियों पर मनोनयन बाद में किया जायेगा।

४. विभागीय संकल्प सं०-३३५ दिनांक २४.०७.२०१३ के आलोक में समिति के नामित सदस्यों का कार्यकाल अधिकतम तीन वर्षों का होगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक- मं०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११-५७६/

पटना, दिनांक- २७/११/१३/

प्रतिलिपि: सभी मंत्री/राज्य मंत्रिमंडल के सदस्यगण को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- २७/११/१३/

ज्ञापांक- मं०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११-५७६/

प्रतिलिपि: मुख्य सचिव/विकास आयुक्त/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- २७/११/१३/

ज्ञापांक- मं०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११-५७६/

प्रतिलिपि: सभी विभागीय प्रधान सचिव/सचिव/ महानिदेशक, सूचना एवं जनसंपर्क विभाग/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी उप विकास आयुक्त/सभी अनुमंडल पदाधिकारी/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सभी जिला पदाधिकारी से अनुरोध है कि अपने स्तर से मनोनीत सदस्यों को अधिसूचना की एक प्रति उपलब्ध कराना चाहेंगे।

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।

पटना, दिनांक- २७/११/१३/

ज्ञापांक- मं०म०/का०का०(गठन)-०१/२०११-५७६/

प्रतिलिपि: अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित। अनुरोध है कि इस अधिसूचना की १०० (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ इस विभाग को शीघ्र उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

(विनोद कुमार झा)

सरकार के संयुक्त सचिव।